दिनांक 25-02-2018

एस0एस0पी0 हरिद्वार ने एक विधवा मां को दिलाया इंसाफ बुजुर्ग माता पिता को घर से निकाला तो होगी कानूनी कार्यवाही

एक पीड़ित बुजुर्ग विधवा मां ने श्री कृष्ण कुमार वीके, एस0एस0पी0 हरिद्वार से लगाई मदद की गुहार, तो तीन आरोपी बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। थाना पथरी के गांव बहादुरपुर जट निवासी गोमती देवी पत्नी स्व0 बलवन्त सिंह के तीन बेटों ने अपनी 85 साल की बुजुर्ग मां को घर से निकाल दिया। बुजुर्ग गामती देवी किसी तरह एस0एस0पी0 ऑफिस पहुंची। पीड़ित द्वारा अपना पूरा दुखड़ा श्री कृष्ण कुमार वीके को सुनाया। जिसके बाद एस0एस0पी0 हरिद्वार ने तत्काल एक निजी कार मंगाकर पीड़िता को पथरी थाने भेजा। जहां पथरी थाना प्रभारी को पीड़िता की मदद करने और आरोपी बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये गये। एस0एस0पी0 हरिद्वार के आदेश मिलते ही पथरी पुलिस ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया और एस0डी0एम0 को रिपोर्ट भेजी जा रही है। जिसके बाद आरोपी बेटों को मां की सेवा करने के लिए वचन देना होगा।